उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0आर0 सं0– 11/2015–16

रामवृक्ष भण्डारी एवं अन्य ..... आवेदक

बनाम

राम जतन भंडारी..... विपक्षी

।। आदेश ।।

03/05/2016 यह आर0एम0आर0 वाद सं0– 11/15–16 रामवृक्ष भण्डारी बनाम राम जतन भंडारी एवं अन्य मौजा भालसुनियां, अंचल जरमुण्डी के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0 389/06–07 में पारित आदेश दिनांक 10.04.15 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा भालसुनियां के अंतिम प्रधान ब्रह्मदत्त ओस्ता थे। उनकी मृत्यु के पश्चात मोजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु पी0ए0 40/75–76 निम्न न्यायालय में धारा 05 के अन्तर्गत दायर किया गया था। किन्तु 2/3 रैयत उपस्थित नहीं होने के कारण निम्न न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 15.04.78 को मौजा को खास घोषित किया। तत्पश्चात मौजा की खास वसुली होती रही। इसके बाद पुनः आवेदक एवं अन्य द्वारा निम्न न्यायालय में प्रधान नियुक्ति हेतु पी0ए0 वाद सं0 389/06–07 दायर किया गया। इस वाद में निम्न न्यायालय द्वारा प्रधान नियुक्ति हेतु धारा 05 की प्रक्रिया अपनाई गई एवं इस धारा के अन्तर्गत नियुक्ति के पूर्व स्वीकृति हेतु अभिलेख उपायुक्त को भेजा गया। इसे तात्कालीन उपायुक्त द्वारा निम्न न्यायालय के अभिलेख को यह कहते हुए वापस किया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी मौजा के प्रधान की नियुक्ति सं0प0 काश्तकारी अधिनियम में निहित प्रावधान के तहत करने में सक्षम हैं। तत्पश्चात निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी को पूर्व प्रधान के पौत्र होने के नाते मौजा का प्रधान पद धारा 06 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा को खास घोषित किया गया है। अतः मौजा के प्रधान की नियुक्ति धारा 05 के अन्तर्गत होनी चाहिए।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा के अंतिम प्रधान ब्रह्मदत्त ओस्ता विपक्षी के दादा थे। माननीय उच्च न्यायालय के एल0पी0ए0 नं0 135/2003 श्रीमती स्वर्णलता देवी बनाम झारखण्ड सरकार में पारित आदेश दिनांक 17.07.03 के अनुसार "Office of Pradhan is hereditary in nature and the next heir who is fit, is entitled to appointed."

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मौजा के अंतिम प्रधान विपक्षी के दादा थे। इसी आधार पर उन्हें सं0प0 काश्तकारी अधिनियम की धार 06 के अन्तर्गत प्रधान पद पर निम्न न्यायालय द्वारा किया गया नियुक्ति सही प्रतीत होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सही मानते हुए आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul

उपायुक्त
दुमका।

Rahul

उपायुक्त
दुमका।